

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Civil Misc. Appeal No. 2337/2019

Parsi Devi

----Appellant

Versus

Rakesh Kumar

----Respondent

For Appellant(s) : Mr. Shashi Kant

For Respondent(s) :

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

29/03/2023

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी को सुना गया।

अपीलार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, उसमें वर्णित कारणों को देखते हुए स्वीकार किया जाकर देरी को माफ किया जाता है।

अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

प्रत्यर्थीगण को 8 सप्ताह में वापसी योग्य नोटिस जारी हो।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

17-mayank/-